उत्तराखंड में UCC कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2024 के अंत तक उत्तराखंड में [समान नागरिक संहिता (UCC)]() लागू होने की उम्मीद है, एक ऐसी सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है जो **लिव-इन और विवाहित जोड़ों को अपने रिश्ते को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी।**

- उत्तराखंड विधानसभा ने **7 फरवरी, 2024** को UCC बिल पारित किया।

मुख्य बिंदु:

- UCC विवाह की तरह ही लिव-इन संबंधों के पंजीकरण का आह्वान करता है और कहता है कि **लिव-इन पार्टनर की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।**
    - अधिकारियों के मुताबिक **सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी।**
    - **ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा** सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ दंपत्ति दोनों के लिये लाभदायक होगी क्योंकि इससे रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई बार जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
    - हालाँकि **18 से 21 वर्ष की आयु के जोड़ों के माता-पिता को उनके बच्चों** के लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में सूचित किया जाएगा।
- संसद में पारित **विधेयक** में कहा गया है कि **बिना पंजीकरण कराए एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में** रहने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
    - यदि **लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली किसी महिला को उसके साथी ने छोड़ दिया है**, तो **वह उससे गुज़ारा भत्ता का दावा करने की हकदार होगी,** जिसके लिये वह उस सक्षम अदालत से संपर्क कर सकती है, जिसका उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र हो, जहाँ वे आखिरी बार साथ रहे थे।
    - **पहाड़ी राज्य के छोटे आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है,** जो लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।

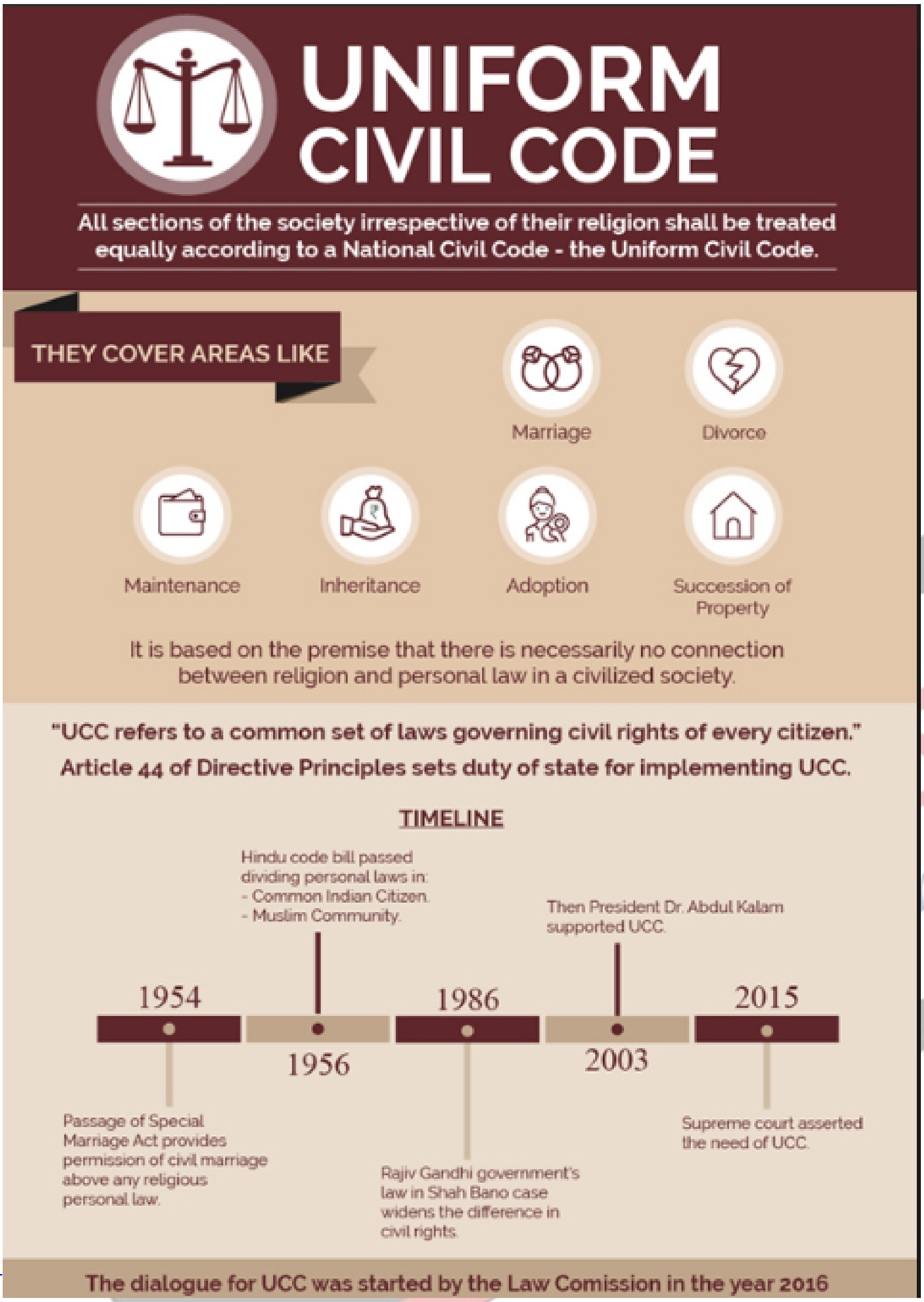

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ucc-implementation-in-uttarakhand